हमारी संस्था ने आपके पते पर लेटर की हार्ड कॉपी भी भेजी है जो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जायेगी। ये लेटर ईमेल के द्वारा भी भेज रहे है आशा करता हूँ आप इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे और हमारी संस्था को इस मुददे पर बात करने के लिए समय देंगे ।

सेवा में,

सम्मानीय मुख्यमंत्री,

श्री मनोहर लाल खट्टर

(हरयाणा)

पता-हाउस नंबर: 1, सेक्टर -3, चंडीगढ़-160047

विषय - अंतरजातीय विवाह पर सरकार द्वारा उठाया गया सकारात्मक कदम साथ मे इंटर रिलीजन और इंटर रीजन में भी होना चाहिये

नमस्ते,

18 मई हिंदुस्तान अखवार में खबर को पढ़ने के बाद इस लेटर को लिख रहे है । खबर में है कि हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये देगी । इस खबर को पढ़कर हमारी संस्था में एक खुशी की लहर आयी । ये ठीक है लेकिन इसके अलावा बहुत काम बांकी है जो सरकार की तरफ से होना चाहिए । क्यों कि इस मुद्दे पर हमारी संस्था पिछले कई बर्षो से काम कर रही है और इस मुद्दे पर हर राज्य कार्यवाही करे इसके लिए सभी सोशल जस्टिस के मंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर भेजे है । इस मुद्दे पर सभी के साथ हम बात करने के दौर में चल रहे है । इस बारे में फरवरी लखनऊ मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाकर उनसे मीटिंग करने के लिए गए थे मीटिंग तो नही हो पायी लेकिन उनके ऑफिस में अपना लेटर देकर संस्था की बात को रखकर आया । जल्द ही उनसे मीटिंग होगी । हमारी इस बारे मे बात चल रही है ।

अब हम आपको अपनी संस्था से रूबरू कराना चाहते है ।

हमारा देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर आज तक बट ही रहा है । पूरे भारत देश को इतना बांट दिया गया है कि लोग अपना असितत्व ही भूल गये है । सारे धर्म, जाति, समुदाय से पहले हम सभी मनुष्य है । इस धरती पर सारी सन्तान एक माँ के गर्भ से ही निकलती है । जिनमे कोई भेदभाव नही होता । जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नही पता होता । हमारा समाज ही उसको बांटता है जिसको ठीक करना होगा ।

अब हम आपका ध्यान एक ऐसे एक्ट के बारे में ले जाना चाहते है जो लगभग 62 बर्षो पहले आया था । जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते है । सामान्य जनता को इसका पता ही नही है । भारत सरकार द्वारा कानून "प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955" में अंतरजातीय विवाह के लिये एक एक्ट आया था । आज लगभग 62 साल होने को है । लेकिन इस एक्ट के बारे में समाज मे जागरूकता बहुत कम है । हमारी संस्था आग्रह करती है कि इस पर भी आप गम्भीरता से सोचे । जिससे अधिक से अधिक इसका लोग लाभ उठा पाये । सभी राज्यो में इसका अलग अलग पैमाना है ।

संस्था का सबसे बड़ा मुख्य पहलू है कि आपस में अंतरजातीय विवाह तो होना चाहिए साथ मे इंटर रिलीजन और इंटर रीजन में भी विवाह होना चाहिए । आपस मे विवाह ही एक ऐसी कड़ी है जो आपस मे लोगो को जोड़ सकती है । विवाह एक पवित्र वन्धन है । जिसके बाद एक नया बच्चा जन्म लेता है । उसके बाद बच्चे का भविष्य और देश के भविष्य का निर्माण होता है । इनमे कोई भी भेद भाव नही होना चाहिए । हमारे मन में ये प्रश्न नही उठना चाहिए । कि हम किस जाति, धर्म के है । इससे सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम ये निकलकर आयेगा कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों में से ये मानसिकता खत्म हो जायेगी । कि हम किस जाति के है । वह बच्चे अपने आपको मानवता-इंसानियत की तराजू पर तौलेंगे ।

इससे क्या होगा ?  इससे एक दिन समाज में जातिवाद सब कुछ समाप्त हो जायेगा । संस्था की तरफ से कुछ सुझाव है कि जो भी लोग अंतरजातीय शादी करते है । उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए साथ मे ये सुविधाएं इंटर रिलीजन और इंटर रीजन वालो को भी मिलना चाहिए ।

1. सरकार की तरफ से उनको जो भी पैसा अभी वर्तमान में दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाये । जो कि आपकी सरकार ने इस हमारे पॉइंट पर तो एक्शन ले लिया है ।

2. फ्री हनीमून के लिए नगद मिलना चाहिए ।

3. युवक और युवती दोनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए

4. इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए ।

5. उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए ।

6. उनके बच्चो को सरकारी नोकरी मिलनी चाहिए ।

7. शादी में 5 साल तक उनको बीच बीच में छुट्टियाँ के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए ।

इन मुद्दो को अधिक से अधिक फैलाया जाए और सरकार की तरफ से गहराई में जाना चाहिए । अधिक से अधिक जागरूकता होनी चाहिए । इस बारे में लोगो में चर्चा होनी चाहिए ।

ये सब इसलिए है जिससे लोग शादी ज्यादा से ज्यादा करे । इन सबमे बहुत समय लग सकता है लेकिन देश में एक चिंगारी उठनी चाहिए । एक चिंगारी ही काफी है । नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ने के लिए । देश बदलने का सब प्रयास करते है लेकिन कुछ भी नही बदलता है । वही प्रश्न फिर उठता है कि आखिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश क्यों नही बदल रहा है । कही न कही हम भारी चूक कर रहे है  । शायद हम सभी लोग जाति धर्म में ही उलझकर रह गये है ।

आशा करता हूँ आप हमारी संस्था के पक्ष को समझ रहे होंगे ।
आप इस पूरे मुद्दे पर हमारी संस्था से बात करना चाहे तो हमे ख़ुशी होगी । हम इस पर बैठकर बात कर सकते है । इस पर एक सकारात्मक परिणाम लाने की दिशा में काम कर सकते है ।
संस्था ने इस मुद्दे पर  सूचना का अधिकार के तहत कुछ सूचना भी मांगी थी । जिनकी जानकारी आपके साथ बांट रहे है । सभी राज्यो में सूचना का अधिकार के तहत RTI डाली जिसमे पता चला 2010 से 2017 वर्तमान तक जो हमे आकंड़े प्राप्त हुये है –

उससे पता चला कि इस एक्ट के बारे में लोगो को जानकारी ही नही है । बड़े ही निराशाजनक आंकड़े प्राप्त हुए है । हमारी संस्था को लगता है इस एक्ट पर समाज मे जागरूकता फैलानी चाहिए । अधिक से अधिक लोगो तक बात पहुँचनी चाहिए । अंतरजातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरुस्कार भी मिलना चाहिये । जिससे अधिक से अधिक लोग शादी करे और पूरे मानव जाति को एक करने में मदद करे । और इस एक्ट का सही से पालन हो ।

पुनः आपसे विनम्र आग्रहपूर्ण निवेदन है कि एक बार हमारी संस्था से इस बारे में बात हो तो एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखूँ और गहराई से इस मुद्दे पर अपने कुछ अनुभव सांझा करू । एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते हम चाहते है कि देश के विकास में हमारा भी कुछ योगदान हो ।

भवदीय



पृथ्वी मानकतला
"सचिव"
"द पीपुल्स वॉइस सोसाइटी"
"नई दिल्ली"